

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर (अलवर)

न्याय आपके द्वार शिविर अटल सेवा केन्द्र— खानपुर अहीर

पीठासीन अधिकारी — महेश चन्द्र मान (आर0ए0एस0)

दावा	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
167/09	10.07.2009	01.06.2018

अनुवान

1. कौशल्या
2. कृष्णा
3. बाला
4. सुशीला
5. मुन्नी
6. संतोष पुत्रीयान अमरसिंह
7. नर्बदी बेवा सूरता
8. धनपति पुत्री सूरता
9. शुभकरण दत्तक पुत्र सूरता
10. तारा पुत्र लालमन जातियान जाट साकिन बीरोद तहसील मुण्डावर—फौत
- 10/1 सुगन देवी पत्नी ताराचंद
- 10/2 अभयसिंह पुत्र ताराचंद
- 10/3 संतोष पुत्री ताराचंद जातियान जाट निवासी बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर


:-वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, मुण्डावर जिला अलवर।

:-प्रतिवादी

दावा—इश्तकरारहक मय दुरुस्ती इन्द्राज  
अर्न्तगत धारा—88, 89  
राज0 काश्त0 अधि0 1955,

  
उपखण्डाधिकारी, मुण्डावर  
(अलवर) राज0

—:पर्चा डिक्री:—


दिनांक:- 01.06.2018

वकील वादी एवं वादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 01.06.2018 को महेश चन्द्र मान उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि—

हाल आराजी ख0न0 555/0.25, 558/0.57, 561/1.04, 553/0.10 वाके ग्राम बीरोद तहसील मुण्डावर जिला अलवर, राज0 के बाबत हाल रिकार्ड में वादीगण के नाम हो रहे गैर खातेदार के अंकन को हजफ करने के आदेश दिये जाते है एवं उक्त विवादित आराजी के 1/2 भाग के बाबत वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं हिस्से अनुसार उक्तानुसार ही हाल रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज तारीख 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(महेश चन्द्रमान) अधिकारी, मुण्डावर  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर  
मुण्डावर (अलवर) राज0